न्यायालय सहायक कलक्टर, आबूपर्वत

पीठासीन अधिकारी – डॉ. अंशु प्रिया, आई.ए.एस.

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थीगण
स्व. श्री बीरबल सिंह H.U.F. जरीये उसके कर्ता प्रमोद कुमार पुत्र स्व. बीरबल सिंह , जाति जाट, निवासी – आकराभट्टा, आबूरोड़, जिला सिरोही राज.।		अरविन्द पुत्र रमेश, जाति सुथार, निवासी किवरली, तहसील देलदर व अन्य – 28

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं आदेश 39 नियम 1व 2 संपठित धारा 151 सी.पी.सी.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 7/2025

दिनांक 4.5.2026

निर्णय

यह कि प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र तहत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं आदेश 39 नियम 1 व 2 संपठित धारा 151 सी.पी.सी. पेश कर कथन किया कि प्रार्थी व अप्रार्थीगण के संयुक्त मालिकी स्वामित्व की खातेदारी की कृषि भूमि मौजा ग्राम किवरली, भू.अ.निरीक्षक किवरली, तहसील देलदर में खसरा नंबर 1462/164 कुल रकबा 0.8219 हैक्टेयर की स्थित है। यह कि उक्त कृषि भूमि प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के नाम कब्जा काश्त व खातेदारी की है। यह कि अप्रार्थीगण संख्या 1 से 28 द्वारा प्रार्थी को कृषि कार्य करने में आये दिन दखलअंदाजी व झगड़ा करते रहते है, तथा अप्रार्थीगण संख्या 1 से 28 द्वारा अवैध रूप से प्रार्थी के हक हिस्से की भूमि पर कब्जा व प्रार्थी को उसके हक–हिस्से की भूमि से जबरन बेदखल करने की धमकी देते है अतः अप्रार्थीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद करवाने हेतु यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है।

बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया। बहस पर मनन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो अनुसार मौजा ग्राम किवरली, भू.अ.निरीक्षक किवरली, तहसील देलदर में खसरा नंबर 1462/164 कुल रकबा 0.8219 हैक्टेयर की स्थित है। उक्त कृषि भूमि में अप्रार्थीगण भी सहखातेदार है। अतः धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत सहखातेदारो के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा नही दी जा सकती है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र तहत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम परिपोषनीय नहीं होने से खारिज योग्य है।

आदेश

उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र तहत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम परिपोषनीय नहीं होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

आदेश आज दिनांक 4.5.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Anshu Priya
Date: 2026.05.11 17:42:31 IST
Reason: SelfAttested

(डॉ.अंशु प्रिया) I.A.S.
सहायक कलक्टर, आबूपर्वत

सहायक कलक्टर
आबूपर्वत (सिरोही)